

5- कार्यक्रम की घनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैठक में खाला छोलने उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की कापरेका बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के साथ पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिला निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूरी सहयोग एवं अनुकूल यातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के नियंत्रण में सहयोग प्रदान करें।

11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकार जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

### ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण अनुठान
1	कृष्ण कात उपाध्याय	अध्यक्ष	१००१ कात
2	संजप्त श्रीवास्तव	सचिव	१००२
3	उषदेवी	कोषाध्यक्ष	१००३
4	नगीना देवी	सामान्य सदस्य	नगीना देवी
5	लक्ष्मी देवी	सामान्य सदस्य	लक्ष्मी देवी
6	दुर्गापती देवी	सामान्य सदस्य	दुर्गापती देवी
7	सुमन देवी	सामान्य सदस्य	सुमन देवी
8	सुषमा देवी	सामान्य सदस्य	सुषमा
9	गीता देवी	सामान्य सदस्य	गीता
10	सबनम	सामान्य सदस्य	सबनम
11	रजनीकात	सामान्य सदस्य	रजनीकात
12	अखीतरा	सामान्य सदस्य	अखीतरा
13	रोहीत भाल	सामान्य सदस्य	रोहीत भाल
14	महेन्द्र कुमार जोता	सामान्य सदस्य	महेन्द्र कुमार जोता
15	लिपाजत	सामान्य सदस्य	लिपाजत

ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम पंचायत अधिकारी  
दिव्येन्द्र - जानपद  
जानपद - ज्वला

कृष्ण कात  
प्रधान  
ग्राम पंचायत देवजितपुर  
दिव्येन्द्र ज्वला

**ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को ग्रामपाल देने हेतु ग्राम पंचायत का उत्तराधि**  
**पाठ्यक्रम- बैचारीहुरू**      **वित्तीय- २०१५/१६ जनपद- गोदावरी**

ग्राम पंचायत में वित्तीय २०१५/१६ को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें  
 विभागित प्रश्नावाप परिवर्तन किया गया-

१- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का यहन किया गया और  
 उसमें विभागित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-


क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (अहिला / अनुसारी / जनजाति / या / परीबी शेष के वीथि भवित्वी)	पदनाम (अधिक / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्बन्धीय संख्या मोडाइल नं
१	कृष्ण लक्ष्मी उद्धारभाष	जामैरेण	अधिक	7752434689
२	सोजगा लक्ष्मीस्वर	लक्ष्मा	सचिव	9815871063
३	उषा रेती	आमृण	कोषाध्यक्ष	9833649504
४	-गोदावरी	हरिजन	सामान्य सदस्य	8127221607
५	भृष्णी देवी	बोहार	सामान्य सदस्य	8009409288
६	दुर्गापती देवी	हरिजन	सामान्य सदस्य	8174936377
७	सुमन	हरिजन	सामान्य सदस्य	9519025339
८	सुष्णादेवी	ब्राह्मण	सामान्य सदस्य	7518997870
९	गौता देवी	युद्धा	सामान्य सदस्य	9695155933
१०	सर्वनग	मुसलभान	सामान्य सदस्य	7390881386
११	रघुनीकाती	ब्रामृण	सामान्य सदस्य	9935297876
१२	अजीतराष	हरिजन	सामान्य सदस्य	7376603950
१३	रोहील भाल	हरिजन	सामान्य सदस्य	9601315962
१४	महेन्द्र कुलगौतम	हरिजन	सामान्य सदस्य	8400007017
१५	लिपाकात	मुसलभान	सामान्य सदस्य	9118444915

२- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

४- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं मुगतान प्राप्त करें और मुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

  
**ग्राम पंचायत उचित कार्यवाही**  
 ग्राम पंचायत उचित कार्यवाही  
 वित्तीय २०१५/१६ जनपद - गोदावरी

  
**प्रबन्धन**  
**ग्राम पंचायत देवाजितपुर**  
 १ - ० नए जिला गोदावरी